

30/4/2022

अभिलेख उपस्थित / देनदार द्वारा बकाया राशि कार्यालय के नजारे शाखा में N.R.No-3409458 दिनांक-25.04.2022 के द्वारा जमा किया गया है।

शाखा प्रबंधक SBI के द्वारा मौखिक रूप से बताया गया कि देनदार द्वारा अपनी मूल राशि के 50% राशि जमा करने के पश्चात देनदार से संबंधित नीलाग पत्र वाइ लोक अदालत में आपसी समझौते के तहत निष्पादन किया जाता है।

वर्तमान में देनदार द्वारा 50% राशि जमा कर दिया गया है।

अतः लोक अदालत में नीलाग पत्र वाइ निष्पादन की प्रत्याशा में अभिलेख की कारवाई बंद की जाती है।

लेखापित्र
 30/4/22
 नीलाग पत्र पर्यधिकारी
 पाकुलिया